न्यायालय राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या– 146/2015–16 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधि0

सुशील कुमार पुत्र शंकर लाल, निवासी रानी गली, भूपतवाला, जिला हरिद्वार।

बनाम

1. चन्द्रभूषण गोयल पुत्र सी0के0पी0 गोयल, निवासी–286 विजय पार्क एक्सटेन्शन, देहरादून।

2. श्रीमती शशि सूद पत्नी वी0के0 सूद, निवासी–52 मानसिंह वाला, करनपुर देहरादून द्वारा मुख्तारेआम अजय गोयल पुत्र सी0के0पी0 गोयल, निवासी–246 विजय पार्क एक्सटेन्शन, देहरादून।

उपस्थित : श्री पी0एस0 जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री राम नरेश सिंह।
अधिवक्ता उत्तरदाता संख्या–01 : श्री नितिन वशिष्ठ (अनुपस्थित)।

आदेश

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, शिविर देहरादून द्वारा निगरानी संख्या–19 वर्ष 2011–12 चन्द्र भूषण गोयल बनाम सुशील कुमार आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 11–04–2016 के विरूद्व प्रमुखतः इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है, कि निगरानीकर्ता भूमि खसरा संख्या–487/2 रकबा 2.11 एकड़ स्थित शीशमबाड़ा का संक्रमणीय भूमिधर है, कि निगरानीकर्ता ने वादग्रस्त भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख से पूर्व स्वामिनी श्रीमती शशि सूद से दिनांक 01–08–2005 को क्रय किया एवं उक्त विक्रय पत्र के आधार पर निगरानीकर्ता ने तहसील विकासनगर मे नामान्तरण सूचना प्रस्तुत की जिसे विद्वान नायब तहसीलदार, विकासनगर ने स्वीकार कर निगरानीकर्ता के नाम नामान्तरण आदेश पारित किया, कि नामान्तरण आदेश के विरूद्ध उत्तरदाता संख्या–01 चन्द्रभूषण गोयल ने असत्य आधारों पर आपत्ति प्रस्तुत की जिसके आधार पर विद्वान नायब तहसीलदार ने दाखिल खारिज आदेश निरस्त कर दिया, कि निगरानीकर्ता ने उक्त आदेश के विरूद्व सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, विकासनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, कि अपील के विचाराधीन रहने के दौरान उत्तरदाता संख्या–01 ने निगरानीकर्ता से समझौता करने की बात की एवं एक आपसी राजीनामा के आधार पर निगरानीकर्ता ने उक्त अपील वापस ले ली, कि जब समझौते के आधार पर उत्तरदाता द्वारा नियत धनराशि निगरानीकर्ता को भुगतान नही की गई तो निगरानीकर्ता ने दिनांक 23–11–2011 को एक पुनर्जीवन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो आदेश दिनांक 05–12–2011 से स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्ध उत्तरदाता संख्या–01 ने अपर

आयुक्त के समक्ष निगरानी योजित की जो निर्णयादेश दिनांक 11–04–2016 से स्वीकार हुई। इसी आदेश के विरूद्ध वर्तमान निगरानी निदेशित है।

नियत तिथि को उत्तरदाता संख्या–01 के विद्वान अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी एवं अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियों का भली–भांति अध्ययन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी पत्र में उल्लिखित तथ्यों को ही दोहराते हुए मुख्य रूप से यह तर्क किया है कि विद्वान सहायक कलेक्टर ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र को बिना निगरानीकर्ता को सुने स्वीकार किया है एवं विद्वान अपर आयुक्त ने उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, विकासनगर के आदेश दिनांक 05–12–2011 को निरस्त करते हुए प्रकरण प्रति प्रेषित न कर निगरानीकर्ता को न्याय से वंचित रख विधिविरूद्ध आदेश पारित किया गया है।

निगरानीकर्ता के पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र जो धारा–5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र पर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, विकासनगर द्वारा जो आदेश दिनांक 05–12–2011 पारित किया गया है उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र पर उत्तरदातागण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसे स्वीकार किया गया है। विद्वान परगनाधिकारी को चाहिए था कि वे सर्वप्रथम धारा–5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र पर उत्तरदातागण को नोटिस जारी कर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उस पर सुव्यक्त एवं सकारण (speaking and reasoned) आदेश पारित करते एवं विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र स्वीकार होने की स्थिति में पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर वाद पुनर्स्थापित करने अथवा न करने का निर्णय पारित करते लेकिन उन्होंने ऐसा न कर तात्विक एवं विधिक अनियमितता की है। इस विधिक एवं तात्विक स्थिति के दृष्टिगत प्रथम निगरानी स्वीकार कर स्पष्ट निर्देश सहित अपील पत्रावली प्रतिप्रेषित की जानी चाहिए थी।

विद्वान अपर आयुक्त ने तो धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर तो पक्षकारों के मध्य हुए लेन–देन का जिक्र करते हुए यह कथन किया है कि अवर न्यायालय ने यदि उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी में निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया होता तो शायद विद्वान सहायक कलेक्टर आक्षेपित आदेश दिनांक 05–12–2011 पारित ही नहीं करते; राजस्व न्यायालयों को लेन–देन सम्बन्धी मामलों को सुलझाने का कोई अधिकार नही है इसके लिए पक्षकारगण स्वतंत्र हैं। तद्नुसार विद्वान अपर आयुक्त ने अपने निर्णयादेश 11–04–2016 से उनके समक्ष आक्षेपित आदेश दिनांक 05–12–2011 को निरस्त कर दिया परन्तु ~~वे भी~~ निगरानीकर्ता एवं उत्तरदातागण को विचारण न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्रदान न कर

निगरानी ही निरस्त कर दी। उनके द्वारा भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अनदेखी कर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो विधिक एवं तात्विक अनियमितता से ग्रसित है।

नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के दृष्टिगत पुनर्जीवन प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र पर उत्तरदायागण को सुनवाई एवं सम्भावित साक्ष्य का अवसर दिया जाना विधितः आवश्यक है तद्नुसार आंशिक रूप से स्वीकारणीय है।

आदेश

निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के आक्षेपित आदेश दिनांक 11–04–2016 में अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 05–12–2011 को निरस्त करने सम्बन्धी अंश यथावत रखते हुए शेष अंश को अपास्त करते हुए प्रकरण विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, विकासनगर को इस आशय से प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे पुनर्जीवन प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र पर हितबद्ध पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उसका सुव्यक्त एवं सकारण आदेश (speaking and reasoned order) पारित करते हुए विधिसम्मत निस्तारण करें एवं यदि वे अपील प्रस्तुत होने में हुए विलम्ब को अंततः मर्षित करते हैं तो पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र का भी विधिवत निस्तारण करें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अपील पुनर्स्थापित होने की स्थिति में उसका विधिसम्मत निस्तारण किया जायेगा। पक्षकार विद्वान परगनाधिकारी के न्यायालय में दिनांक 23–05–2018 को उपस्थित हों। विद्वान परगनाधिकारी इस न्यायालय अथवा अपीलीय न्यायालय के गुणदोष सम्बन्धी किसी भी मन्तव्य से प्रभावित नहीं होंगे। अवर न्यायालयों की पत्रावलियां वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य (न्यायिक)।

आज दिनांक **16–04–2018** को खुले न्यायालय उद्घोषित हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य (न्यायिक)।